"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-02/2011/32.—छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) की सहपठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

ऐसी कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, (कक्ष क्रमांक 308), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 12 के उप-नियम (2) में, शब्द "सार्वजनिक उपक्रम" के पश्चात् शब्द "या केन्द्रीय/राज्य शासन द्वारा किसी विधि के अंतर्गत स्थापित कोई वित्तीय संस्थान या राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय शासन/राज्य शासन द्वारा विशिष्ट हेतु गठित निगम/मंडल" जोड़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-02/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 28th March 2011

NOTIFICATION

No. F 7-02/32/2011.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Visesh Keshtra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published as per required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, (Room No. 308) Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (2) of Rule 12, after the words "Public undertaking" the words "Or any financial institution established under any law by Central Government/State Government or nationalized banks, cooperative banks or corporation or boards constituted for specific purpose by the Central Government/State Government" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.